नगर निगम की केबिनों को किया धराशाही, सर्कल से हटाया अतिक्रमण

पीड़ितों ने निगम पर लगाया आरोप, कहा नहीं हुई कोई सुनवाई

अजमेर, (कासं)। अजमेर नगर निगम ने महावीर सर्किल स्थित नाले पर बनी वर्षों पुरानी तीन केबिनों को अतिक्रमण मानते हुए कार्यवाही कर निगम की जेसीबी के पीले पंजे ने ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान केबिन संचालकों ने विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस व नगर निगम दल ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई अंजाम दी। कार्यवाही के दौरान चार थानों का पुलिस जाप्ता मौके पर तैनात रहा।

नगर निगम दस्ता प्रभारी रविश सामरिया ने बताया कि महावीर सर्कल पर जैन समाज का मंदिर है और यहां पर कुछ केबिन व ठेले लगाकर अतिक्रमण किया गया था। नगर निगम उपायुक्त ने 30 अगस्त 2024 को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस में उल्लेख किया गया कि शैलेंद्र बंजारा, लेखराज और मनोज चतुर्वेदी ने महावीर सर्किल के पास नाले पर अतिक्रमण कर रखा है। 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। समय सीमा गुजर जाने के बाद निगम प्रशासन द्वारा मंगलवार को कार्यवाही करते हुए निगम के दस्ते ने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान हल्का विरोध भी किया गया, लेकिन पुलिस व नगर निगम दल ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की।

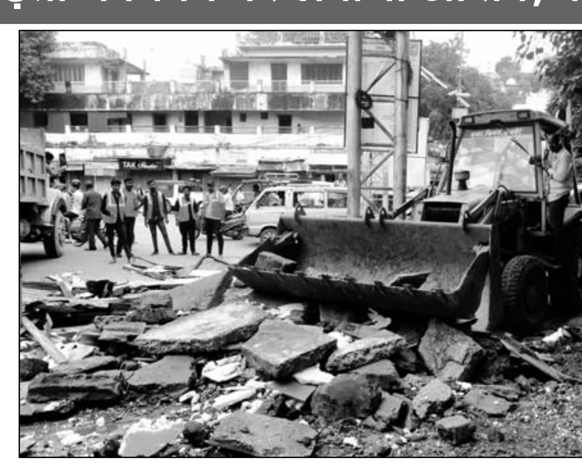

अवैध अतिक्रमण हटाती हुई जेसीबी, मालब उठाते कर्मचारी तथा मौके पर तैनात पुलिस जाप्ता।

■ **नगर निगम उपायुक्त ने 30 अगस्त 2024 को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के तहत नोटिस जारी किए गए थे**

पीड़ितों ने कहा आश्वासन के बाद भी कार्यवाही:- पीड़ित केबिन संचालक मनोज चतुर्वेदी ने बताया कि निगम प्रशासन ने कार्यवाही के दौरान उन्हें केबिन से सामान भी नहीं निकालने दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निगम अधिकारियों ने इन दुकानों को ध्वस्त कर दिया। चतुर्वेदी ने बताया कि नोटिस को लेकर मेयर ब्रजलता हाड़ा और नगर निगम आयुक्त देशल दान से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बावजूद इसके अगले ही दिन निगम प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए उन्हें बेरोजगार कर दिया। मनोज चतुर्वेदी ने बताया कि महावीर सर्किल पर स्थित केबिने वर्षों से संचालित हो रही थी। करीब नब्बे साल से दुकान उनके पास है। उन्होंने कागजात भी दिखाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और बिना किसी नोटिस के अचानक सडक पर ला दिया, अब भीख मांगकर गुजारा करना पड़ेगा।

रमेश चौधरी, एक्सईएन का कहना है:- निगम द्वारा यह कार्यवाही नियमानुसार की गई है और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए अतिक्रमण को हटाना जरूरी है और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

राइफल शूटिंग प्रतियोगिता 7 से

अजमेर, (कासं)। अखिल भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान राइफल शूटिंग प्रतियोगिता 7 से 10 सितम्बर तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल नगर परिसर पुलिस चौकी के पास अम्बेडकर भवन में आयोजित की जाएगी। इसमें देशभर से 800 से अधिक पुरुष, महिला व पैरा शूटर्स भाग लेंगे।

प्रतियोगिता के मुख्य संयोजक कंवल प्रकाश किशनानी ने बताया कि मुख्य अतिथि राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत होंगे। खेल का अजमेर में भव्य आयोजन किया जा रहा है,इसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के इलेक्ट्रोनिक स्कॉरिंग टारगेटस् पर शूटर अपना प्रदर्शन करेगें। प्रतियोगिता शूंटिग रेंज में एक साथ 25 राइफल शूटर भाग ले सकेगें। विजेता खिलाडियों में श्रेष्ठ चार शूटरर्स को नगद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।

प्रतियोगिता के आयोजक सचिव हिम्मत सिंह राठौड़ ने बताया कि करणी स्पोर्टस् शूंटिग अकादमी अजमेर के तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय स्पर्धा में 10 मी एअर पिस्टल, 10 मी एअर राइफल एवं 10 मी ओपन साईट के मुकाबलें आयोजित खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के सभी मुकाबलें प्रात: 7 से देर रात्रि तक आयोजित होंगे।

कैम्पों का आयोजन 4 से

भीलवाडा, (निसं)। चिकित्सा विभाग द्वारा जिले में खनन प्रभावित क्षेत्रों में श्रमिकों एवं उनके परिजनों को अपने निवास स्थल व कार्यस्थल के नजदीक ही टीबी एवं सिलिकोसिस की जांच सुविधा का लाभ देने के उद्देश्य से 4 सितम्बर बुधवार से शिविरों का आयोजन किया जायेगा। इन शिविरों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित सिलिकोसिस वेन आरजे 06 पीए 6606 के द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले लोगों को टीबी एवं सिलिकोसिस जांच की सुविधा का लाभ नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी ने बताया कि जिले में 4 सितंबर से 27 सितम्बर तक सिलिकोसिस वेन के द्वारा चलाए जाने वाले जांच शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए कैम्प प्लान अनुसार सीएचसी-पीएचसी पर लगाये जाने वाले स्वास्थ्य जांच शिविरों में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा शिविर स्थल पर आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की सुनिश्चित कर श्रमिकों व परिजनों को नि:शुल्क जांच व उपचार का लाभ दिया जायेगा।

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, ब्यावर जिला ब्यावर
क्रमांक- खअ/ब्यावर/सीसी-T/ख.प.सं.2/1994/1918 दिनांक: 02/09/24
आपति आमंत्रण आम सूचना
हर खास एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के क्षैत्राधिकार में स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश तेला पुत्र श्री बसन्त लाल तेला निवासी 22 मैन स्ट्रीट नसीराबाद जिला अजमेर के पक्ष में एक खनन पट्टा खनिज क्वार्टज, फैल्सपार मायका जिसका एम.एल. 2/1994 निकट ग्राम कलातखेड़ा तहसील ब्यावर जिला ब्यावर मे क्षैत्रफल 4.990 हेक्टर का संविदा पंजीयन दिनांक 30.01.1955 से दिनांक 31.03.2025 तक प्रभावशील है। पट्टाधारी श्री ओमप्रकाश तेला का स्वर्गवास दिनांक 01.08.2024 को होने के कारण पट्टाधारी के पुत्र श्री वैभव कुमार तेला व श्री राघव कुमार तेला ने इस खनन पट्टे का नामान्तरण स्वयं दोनो के नाम करने हेतु प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 29.08.2024 को प्रस्तुत किया है, जिसके साथ स्वयं दोनो का, माताजी सुर्याकान्ता तेला एवं बहिन नम्रता नोवाल का शपथ पत्र खनन पट्टे का नामान्तरण प्रस्तुत किया है। श्री वैभव कुमार तेला व श्री राघव कुमार तेला के पक्ष मे करने के समर्थन मे अत: एम.एम. सी.आर 2017 के नियम 76 (3) के अन्तर्गत हर खास एंव सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त खनन पट्टे के नामांतरण के संबंध मे किसी भी व्यक्ति को कोई आपति अथवा एतराज हो तो विज्ञप्ति के प्रकाशन तिथी से 15 दिवस की अवधि मे इस कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस मे मय दस्तावेज उपस्थित होकर आपति / एतराज प्रस्तुत करें। आपति आमंत्रण आम सूचना विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की अवधि मे कोई आपति/एतराज कार्यालय मे प्राप्त नही होने पर उक्त खनन पट्टे का नामांतरण श्री वैभव कुमार तेला व श्री राघव कुमार तेला के पक्ष मे निवासी 4096 चौकडी मोहल्ला, नसीराबाद जिला अजमेर के पक्ष मे स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी। सो सुचित रहें। (जगदीशचन्द्र मेरावत) खनि अभियन्ता, ब्यावर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप
आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण के ग्राम नौसर के खसरा नं. 222 के आवासीय भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 236.88 वर्ग गज के आवंटी / अन्तरिति श्रीमती उर्मिल जैन धर्मपत्नी स्व. श्री ज्योती स्वरूप जैन निवासी जोधपुर (राज.) की मृत्यु दिनांक 25/02/2021 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः 1. श्रीमती ममता जैन धर्मपत्नी श्री देवेन्द्र जैन एवं सुपुत्री स्व. श्रीमती उर्मिल जैन निवासी चितोडगढ (राज.), 2. श्रीमती अनीता जैन धर्मपत्नी श्री राजेश कुमार जैन एवं सुपुत्री स्व. श्रीमती उर्मिल जैन निवासी अलवर (राज.), 3. श्रीमती नीलम जैन धर्मपत्नी श्री सुनील कुमार जैन एवं सुपुत्री स्व. श्रीमती उर्मिल जैन निवासी सवाई माधोपुर (राज.), व 4. श्री विश्वास जैन सुपुत्र स्व. श्री ज्योती स्वरूप जैन निवासी जोधपुर (राज.) द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्री विश्वास जैन सुपुत्र स्व. श्री ज्योती स्वरूप जैन निवासी जोधपुर (राज.) के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 25/02/2022 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

महापर्व के चतुर्थ दिन रत्न सूरी को कल्पसूत्र ग्रंथ समर्पित किया

बिजयनगर, निसं)। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के चतुर्थ दिन तेजराज गदिया परिवार के द्वारा परम पूज्य आचार्य देवेश श्री निपुण रत्न सूरी महाराज साहब को कल्पसूत्र ग्रंथ समर्पित किया गया। इस पवित्र शास्त्र का वांचन करते हुए पूज्य आचार्य श्री ने फरमाया कि कल्प सूत्र शास्त्र के तीन सीढी हैं पहले 24 तीर्थंकर का चरित्र दूसरा गुरु परंपरा तीसरा साधु साध्वी की आचार सबसे प्रथम महावीर प्रभु का चरित्र सुनाते हुए आचार्य श्री ने कहा कि 27 भवो में महावीर प्रभु की विकास यात्रा सिमटी हुई है प्रथम भाव में बयसार ने साधु की सेवा कर स्वयं का विकास किया फिर आगे बढ़ते बढ़ते 27 वे भाव में महावीर भगवान बने इससे साबित होता है कि मंजिल की ओर बढ़ाया गया एक-एक कदम ही इंसान को मंजिल की प्राप्ति करता है । संभावनाथ जैन मूर्ति पूजक संघ के तत्वाधान में पर्युषण के पंचम दिन सुबह 9:15 बजे कल्प सूत्र शास्त्र आधारित प्रवचन होंगे और दोपहर में 2 बजे महावीर जन्म वांचन और त्रिशला माता को आए हुए 14 स्वपन का सकल श्री संघ को दर्शन करवाने का विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

संभावनाथ मंदिर में धर्म सभा को संबोधित करते जैन संत।

'राज धर्म के लिए किसी भी तरह का त्याग उचित'

अजमेर, (कासं)। ब्यावर के गीता भवन मे चल रहे चातुर्मास महोत्सव मे संत ज्ञानानंद जी सने धर्म सभा को संबोधित करते हुए बताया कि राजा के लिए राज धर्म निभाना परम आवश्यक है। राजा उसके लिए स्वयं के परिवार का महत्व कम होना उचित है, लेकिन पजा के हितो को सबसे उपर रखना श्रेष्ठ राजधर्म है।

राजा राम ने प्रजा मे शुचिता बनाए रखने के लिए धोबी के कहने भर से मां सीता का परित्याग कर दिया। कलयुग मे यह बात अनुचित लग सकती है, लेकिन उस युग मे देश मे शुचिता रखने के लिए प्रभु राम का यह कार्य श्रेष्ठ उतम था।

गीता भवन के मंत्री जुगलकिशोर मनियार व मीडिया प्रभारी सुनील जैथल्या ने बताया कि वर्तमान युग मे यदि देश प्रमुख अपना धर्म राजधर्म उचित तरीके से निस्वार्थ होकर निभाये तो देश का विकास व कल्याण निश्चित है। संत श्री ने कहा कि संतजन ओर गुरूजन जो सुनाए वो बहुत ही गहराई से श्रवण करना चाहिए।

श्रवण मनन व चिंतन की या दया करते हुए उन्होने बताया कि श्रवण श्रेष्ठ तरीके से हो जाए तो मनन व चिंतन आसान हो जाता है। सुखदेव परिक्षित व्याख्यान बताते हुए संत श्री ने कहा कि राधा कृष्ण एक ही त्वव है, जिस प्रकार शरीर में आत्मा समायी हुई होती है वैसे ही कृष्ण मे राधा जी समायी हुइ है। कथा के दौरान लादूराम सोमाणी, सूर्य प्रकाश झंवर, विष्णुदत्त जोशी, आदि मौजूद रहे।

मंदिर में लंगर का आयोजन

अजमेर, (कासं)। पूज्य झरनेश्वर महादेव मन्दिर सिन्धी मंडल के अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक नारी देवानी और उपाध्यक्ष शंकर छत्तानी के नेतृत्व में पूज्य झरनेश्वर महादेव सिन्धी मंडल द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं के अनुसार विश्व के समस्त प्राणियो में परमात्मा का ही रूप मानकार उनकी सेवा करते रहते हैं। नारी देवानी ने बताया कि इसी क्रम आम भंडारे का आयोजन किया गया। महासचिव रमेश लालवानी ने बताया कि मंगलवार को गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम प्रकाश उत्सव के अवसर पर तारागढ पहाडी पर स्थित प्राचीन झरनेश्वर महादेव मन्दिर परिसर में आम भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दौलतराम खुशलानी, नरेश रतनानी, महेश वरलानी, बच्चू हरवानी, भगवान हरवानी, रमेश लालवानी सहित अन्य द्वारा सेवाएं प्रदान की गई।

प्रारूप 10 नियम 6 (7) देखिए
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय-नगर परिषद केकड़ी जिला केकड़ी
क्रमांक/नपके/कृ.भू.रू/2024-25/1880 दिनांक: 2/09/2024
लोक सूचना
मामला सं.
श्री लोकेश कसोटिया पुत्र श्री पारस कासोटिया जाति रेगर निवासी केकड़ी तह. केकड़ी जिला केकड़ी ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषि (अकृषि) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है-

तहसील और जिले का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
केकड़ी-केकड़ी	राजस्व ग्राम केकड़ी	खसरा नं. 7981	रकबा 0.2900 हैक्टयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 10 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 2-09-2024 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मुहर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
न.नि.अ/24-25/भवन/407 दिनांक: 29/08/2024
आपति सूचना
श्रीमती विधा खुशालानी पत्नी श्री श्यामलाल निवासी न्यू विजय जनरल स्टोर सिन्धुवाडी गुरूनानक कॉलोनी अजमेर द्वारा एक भूखण्ड संख्या 1-ई जो ए.एम.सी. नं. 23/423 10/741 का एक भाग है जो वाके ईसाई मौहल्ला, अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 43.10 व.मी. है भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानसार हैं।
पूर्व - रास्ता आम पश्चिम - भूखण्ड संख्या 2
उत्तर - भूखण्ड संख्या 1-डी दक्षिण - भूखण्ड संख्या 1-एफ
अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
न.नि.अ/24-25/भवन/406 दिनांक: 29/08/2024
आपति सूचना
श्रीमती रतनी झामनानी पत्नी श्री सुरेश झामनानी निवासी 2/21 भांग बावडी कुम्हार मौहल्ला नाले के पास अजमेर एवं श्रीमती हेमलता पत्नी श्री हरीश कुमार निवासी 3205/177 रावण की बगीची तिलोक नगर स्कूल वाली गली अजमेर द्वारा एक भूखण्ड संख्या 1-ए जो ए.एम.सी. नं. 23/423- 10/741 का एक भाग है जो वाके ईसाई मौहल्ला, अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 43.28 व मी. है भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानसार हैं।
पूर्व - रास्ता आम पश्चिम - भूखण्ड संख्या 2
उत्तर - 24 फुट चौड़ा रास्ता दक्षिण - भूखण्ड संख्या 1-बी
अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कालाजी भेरुजी का मेला शुक्रवार को

मसूदा, (निसं)। कस्बे के पास स्थित श्री कालाजी भैरुजी महाराज का वार्षिक मेला 6 सितम्बर को भरेगा। ग्राम रेबारियो की ढाणी के पास स्थित श्री काला जी भैरूजी मेला कमेटी के अध्यक्ष दौलत सिंह मेडतिया ने बताया कि मेले की पूर्व संध्या पर मंदिर परिसर मे 5 सितम्बर को रात्रि 8 बजेमसूदा विधायक वीरेन्द्र सिंह कानावत के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधान मीनू कंवर राठौड़ की अध्यक्षता मे भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विशिष्ट अतिथि दिनेश कुमार टांक, जिला परिषद सदस्य, मसूदा, प्राचीजी जैन, पं.स. सदस्य, मसूदा, पुष्पकांता धूत, सरपंच मसूदा, पूजा गुर्जर, सरपंच देवमाली, माधुराम गुर्जर, पूर्व सरपंच देवमाली व ब्रह्मालाल गुर्जर, भोपाजी होगे। 5 सितम्बर रात्रि 8 बजे गोपाल म्यूजिकल ग्रुप बिजयनगर वालों द्वारा भजन संध्या में रंगारंग प्रस्तुति गायक मनराज दिवाना, प्रकाश डांगी डांसर-शालू नागौरी, ज्योति मारवाड़ी सुमन प्रजापति कॉमेडियन - राजू छेला एंड पार्टी द्वारा किया जाएगा।

साथ ही मेला समापन एवं प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण 6 सितम्बर सायं 6 बजे होगा। जिसके मुख्य अतिथि गोविन्दप्रकाश धूत सरपंच प्रतिनिधि, मसूदा अध्यक्षता माधुराम गुर्जर पूर्व सरपंच, देवमाली, विशिष्ट अतिथि दौलतसिंह मेड़तिया पूर्व सरपंच मसूदा की उपस्थिति मे होगा। मेले में वॉलीबाल प्रतियोगिता का आयोजन प्रात: 9 बजे से किया जाएगा । जो संगठित अजमेर जिले की सुपर आमंत्रित वॉलीबाल टीमों के मध्य खेला जाएगा।

पिज्जा हट पर सात हजार का जुर्माना लगाया

अजमेर, (कासं)। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक उपभोक्ता द्वारा पेप्सी कोल्ड ड्रिंक की एक बोटल की होम डिलेवरी पर अधिक कीमत वसूलने करने पर पिज्जा हट के खिलाफ मामला दाखिल किया था। जिस पर आयोग ने फैसला सुनाते हुए पिज्जा हट पर 7 हजार रुपए जुर्माना लगाया और कोल्ड ड्रिंक बॉटल की पैकिंग के नाम से वसूले गए 49 रुपए भी लौटाने के निर्देश दिए।

तोपदड़ा अजमेर निवासी यश अग्रवाल ने अजमेर की उपभोक्ता अदालत में एडवोकेट तरुण अग्रवाल के जरिए परिवाद पेश कर बताया कि उसने स्वीगी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मित्तल मॉल स्थित पिज्जा हट से पेप्सी कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल होम डिलेवरी के लिए बुक करवाई थी। इस कोल्ड ड्रिंक की कीमत सत्तावन रुपए थी, जिस पर 49 रुपए पैकिंग चार्ज, 32 रुपए डिलेवरी चार्ज व 11 रुपए टेक्स जोड़कर कुल 149 रुपए का भुगतान किया था। यश का कहना था कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को किसी विशेष तरह से अलग से पैक नहीं किया गया था और न ही इसकी आवश्यकता थी। इसके बावजूद उससे 49 रुपए पैकिंग चार्ज वसूल किया गया जो उपभोक्ता कानून का उल्लंघन है। यश ने अवैध रूप से वसूले गए 49 रुपए व परिवाद में वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की।

आयोग ने परिवाद दर्ज कर पिज्जा हट प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया, किंतु न तो कोई उपस्थित हुआ न ही जवाब प्रस्तुत किया। आयोग अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा, सदस्य दिनेश चतुर्वेदी व जयश्री शर्मा ने स्वीगी और पिज्जा हट के विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई करते हुए परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्य पर विश्वास करते हुए कोल्ड ड्रिंक बॉटल की पैकिंग शुल्क के तौर पर वसूल किए 49 रुपए के साथ ही मानसिक संताप क्षतिपूर्ति राशि पांच हजार रुपए एवं परिवाद व्यय दो हजार रुपए दो माह की अवधि में अदा करने के आदेश जारी किए।

'करुणा का भाव से मानव नर से नारायण बन सकता है'

अजमेर, (कासं)। श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छाचार्य दादाबाड़ी में चल रहे पर्यूषण महापर्व के चौथे दिन मंगलवार को धर्मसभा को सम्बोधित करते हुए शतावधानी साध्वी मनोहर श्रीजी महारासा ने कहा कि मनुष्य में करुणा का भाव होने से देवता भी प्रसन्न होते है, धन तो पुण्य का योग है। मन में समता का भाव अपनाने और धर्म की समझ आने से मानव नर से नारायण बन सकता है। उन्होंने कहा कि नवकार जैसा मंत्र नहीं, वीतराग जैसा देव नहीं, महावीर जैसा गुरु नहीं, अहिंसा जैसा धर्म नहीं, पर्युषण जैसा पर्व नहीं। जैन कुल में जन्म लिया है तो जैनत्व बने। धर्मसभा में साध्वी निरन्जना श्रीजी, काव्यप्रभा श्रीजी, डॉ.मधुस्मिता श्रीजी, पावनरेखा श्रीजी ने भी संबोधित किया।

श्री जैन श्वेतांमबर खरतरगच्छ संघ के सुशील वेद ने बताया कि दादाबाड़ी में आज कल्पसूत्रो का वाचन चल रहा है जिसके श्रवणमान के मनुष्य को मोक्षगति प्राप्त होती है।

नाबालिग बेटे ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, पिता गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। अजमेर सोशल मीडिया के एक प्लेटफार्म पर बनाए ग्रुप में नाबालिग की ओर से धार्मिक भावनाओं को आहत करने व आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। मामले में क्लॉक टावर थाना पुलिस के साथ सोशल मीडिया सेल ने पड़ताल करते हुए किशोर व उसके परिजन को थाने बुलवाया। पुलिस की जांच में किशोर की गलती सामने आने पर उसके पिता को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया

एएसपी (ग्रामीण) दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि अनुसंधान अधिकारी एएसआई रामबाबू की पड़ताल में सामने आया कि 16 साल के किशोर ने मोबाइल फोन से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हैक्टोग्राम नाम के ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ग्रुप में उसने धार्मिक भावना को आहत करने संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोर के परिजनों को सोमवार को थाने बुलाया। जांच के अनुसार परिजन ग्रुप और उस पर डाली गई आपत्तिजनक पोस्ट से अंजान थे। पुलिस ने उसके पिता को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि किशोर ने जिस ग्रुप में आपत्तिजनक टिप्पणी की उसमें 273 सदस्य जुड़े हुए हैं। ग्रुप में सार्वजनिक रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर किशोर के परिजन को तलब कर भ्रामक व आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में समझाइश की। पुलिस थाने के बाल कल्याण अधिकारी व सोशल मीडिया सेल स्टाफ ने परिजन से पूछताछ की।

■ **ग्रुप में सार्वजनिक रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई**

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
न.नि.अ/24-25/भवन/422 दिनांक: 03/09/2024
आपति सूचना
श्री सुरेश गुरबानी पुत्र श्री भगवानदास एच. गुरबानी निवासी 58-ए/45 संत कंवरराम कॉलोनी फॉयसागर रोड, अजमेर द्वारा एक सम्पति भाग-बी जिस पर ए. एम.सी. नं. 338/37 म.न. 103/17 अंकित जो खसरा नं. 4470 का भाग है जो वाके चौहान बिल्डिंग के पीछे मून्दडी मौहल्ला अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 26.13 व.मी. है भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानसार हैं।
पूर्व - प्राईवेट हाउस पश्चिम - 9.3 फुट चौड़ा रास्ता
उत्तर - सम्पति का शेष भाग सी दक्षिण - सम्पति का शेष भाग ए
अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
न.नि.अ/24-25/भवन/423 दिनांक: 03/09/2024
आपति सूचना
श्री सुरेश गुरबानी पुत्र श्री भगवानदास एच. गुरबानी निवासी 58-ए/45 संत कंवरराम कॉलोनी फॉयसागर रोड, अजमेर द्वारा एक सम्पति भाग-सी जिस पर ए.एम.सी. नं. 338/37 म. नं.103/17 अंकित जो खसरा नं. 4470 का भाग है जो वाके चौहान बिल्डिंग के पीछे मून्दडी मौहल्ला अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 28.76 व.मी. है भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानसार हैं।
पूर्व - सम्पति श्री मुरलीधर पश्चिम - 9.3 फुट चौड़ा रास्ता
उत्तर - पैसेज दक्षिण - सम्पति का शेष भाग बी
अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

अजमेर रेंज प्रभारी ए.डी.जी. मित्तल ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक

अजमेर रेंज प्रभारी व एडीजी सचिन मित्तल एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे

अजमेर, (कासं)। अजमेर रेंज प्रभारी व एडीजी सचिन मित्तल मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे, यहां उन्होंने अजमेर रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से रू-ब-रू होते हुए रेंज प्रभारी मित्तल ने कहा कि सिस्टम में कोई भी नवाचार सिस्टम से होना चाहिए।

अजमेर रेंज प्रभारी व एडीजी सचिन मित्तल मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। रेंज प्रभारी मित्तल ने कहा कि सरकार द्वारा महिला अत्याचार, साइबर क्राइम, कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर अपने-अपने जिलों में जाकर मॉनिटरिंग करने के दिशा निर्देश दिए है, इसके अंतर्गत आज अजमेर जिले में दौरा कर अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। अजमेर पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया गया।

मीडिया से रूबरू होते हुए रेंज प्रभारी मित्तल ने कहा कि कोई भी नवाचार सिस्टम के साथ होना चाहिए। अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर किया गया नवाचार में उसकी अर्थ बदल जाता है। सिस्टम के स्तर पर नवाचार हो तो सही रहता है। उन्होंने कम्यूनिटी पुलिस पर जोर देने व मजबूत करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि संसाधन की जरूरत हमेशा रहती हैं। सरकार ने सभी जिलों में साइबर थाने खोल रखे हैं। मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। साथ ही उनके निस्तारण भी किया जा रहा है। नफरी सरकार समय-समय पर पुलिस को देती है। अभी भी सरकार ने 5500 पद की घोषणा की है। कांस्टेबल भर्ती में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाए गए। जिसमें कोई भी चीटिंग का मामला सामने नहीं आया है। श्री स्टेज प्रक्रिया से गुजर कर जब आते हैं, तो चीटिंग या नकल की संभावना नहीं होती है। पुलिस कर्मियों के द्वारा रिश्वत लेते पकड़े जाने के सवाल पर एडीजी ने कहा कि एसीबी लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है।

पत्रकारो के सवालों के जवाब दते हुए रेंज प्रभारी एडीजी मित्तल।

कार्यशाला आयोजित

ब्यावर, (निसं)। जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान मसूदा में छात्राध्यापको की जलवायु परिवर्तन कार्यशाला आयोजित की गई।मसूदा सचिव मोहन सिंह चौहान ने बताया कि जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान मसूदा में छात्राध्यापको की असिस्टेंट लीडर ट्रेनर सुरेश चन्द फुलवारी के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन कार्यशाला आयोजित की गई।भारत स्काउट एवं गाइड के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के क्लाइमेट लीडर एक्शन प्लान के तहत छात्राध्यापकों को एक दिवसीय कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया गया।सुरेश चन्द फुलवारी ने छात्राध्यापकों को मिशन ज्ञान, सीएलएपी , ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में बताया।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
न.नि.अ/24-25/भवन/421 दिनांक: 03/09/2024
आपति सूचना
श्री दौलत खेमानी पुत्र श्री चेलाराम खेमानी निवासी 1 जे-21 जनता कॉलोनी वैशाली नगर, अजमेर द्वारा एक सम्पति भाग-ए जिस पर ए.एम.सी. नं. 338/37 म.न. 103/17 अंकित जो खसरा नं. 4470 का भाग है जो वाके चौहान बिल्डिंग के पीछे मून्दडी मौहल्ला अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 26.13 व.मी. है भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानसार हैं।
पूर्व - प्राईवेट हाउस पश्चिम - 9.3 फुट चौड़ा रास्ता
उत्तर - सम्पति का शेष भाग बी दक्षिण - सम्पति श्री मोतीलाल महावर
अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
न.नि.अ/24-25/भवन/415 दिनांक: 02/09/2024
आपति सूचना
श्री अजय विक्रम सिंह पुत्र स्व. ठाकुर औंकार सिंह निवासी मकान नं. 118/143 वाघसुरी हाउस जयपुर रोड अजमेर द्वारा एक सम्पति जिस पर ए.एम.सी. नं. 118/143 238 का दक्षिण पूर्वी भाग है जो वाके बाघसुरी हाउस जयपुर रोड अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 173.98 व.मी. है भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानसार हैं।
पूर्व - जायदाद अन्य की सम्पति पश्चिम - प्रार्थी की शेष सम्पति का भाग
उत्तर - प्रार्थी की शेष सम्पति का भाग दक्षिण - जयपुर रोड
अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

सम्मन बनाम प्रतिवादी वास्ते कायमी तनकीयात
(आदेश 5 नियम 1 व 5 जाब्ता दीवो)
न्यायालय श्रीमान् सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय, मसूदा (ब्यावर)
वाद संख्या 6 सन् 2019 (6/19)
श्याम सिंह वादी/वादी गण
विरुद्ध
राजस्थान सरकार प्रतिवादी/प्रतिवादी गण
वाद बाबत् of 88/188 R.T. Act.
एवं धारा 136 राज.भू. राजस्व अधि.
आम सूचना
ज्ञात हो कि वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी प्रतिलिपि इसके साथ भेजी जाती है अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप दि. 16 माह 10 सन् 2024 व वक्त 10 बजे दिन सुबह स्वयं अथवा किसी एडवोकेट के द्वारा जो मुकदमे के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल अमूरात अहम मुतलिक मुकदमा को जवाब दे सके या जिसके साथ और व्यक्ति हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हो और जवाब देही दावा करो आपको लाजमी है कि उसी रोज जुमले दस्तावेज पेश कर जिन पर आप बताई अपनी जवाब देही के दस्तदलाल करना चाहते हो आपको यह सूचना दी जाती है कि उक्त निश्चित तारीख को यदि आप हाजिर न होंगे तो वाद आपकी अनुपस्थिति में जाकर निर्णय दे दिया जायेगा।
मेरे हस्ताक्षर व मुहर न्यायालय के अन्तर्गत आज दिनांक 03 माह 09 सन् 2024 को जारी किया।
आदेशानुसार
मुहर न्यायालय उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर, मसूदा (ब्यावर) राज.

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
वर्ष 2025 हेतु ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की संशोधित तिथियों के संबंध में
वर्ष 2025 की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले समस्त नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने एवं शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि निम्नानुसार संशोधित की जाती है:-

परीक्षा शुल्क	आवेदन पत्र भरने एवं चालान मुद्रित करने की संशोधित अन्तिम तिथि	बैंक में शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि	आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केन्द्र पर जमा कराने की अंतिम तिथि
सामान्य परीक्षा शुल्क से	05.09.2024	05.09.2024	18.09.2024
एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	10.09.2024	13.09.2024	
असाधारण परीक्षा शुल्क (केवल स्वयंपाठी हेतु) जिला मुख्यालयों पर	27.09.2024	04.10.2024	सीधे बोर्ड कार्यालय में

1. आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य प्रक्रिया/शुल्क पूर्व की भांति यथावत रहेगें।
2. दिनांक 05.09.2024 को चालान जनरेट करने पर केवल ऑनलाईन बैंक में राशि जमा कराने का ऑप्शन उपलब्ध होगा एवं विद्यालयों को उसी दिन ऑनलाईन बैंक में राशि जमा करानी होगी।
3. दिनांक 05.09.2024 को ऑफलाईन बैंक चालान जनरेट नही होगा।
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश बोर्ड की वेबसाईट https://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देखे। अन्य जानकारी हेतु बोर्ड कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 0145-2632866, 2632867, 2632868 पर अथवा ए.सी.पी. के दूरभाष नम्बर 0145-2627454 पर सम्पर्क करें।
Email ID - ddexamfirst@gmail.com
सचिव